अपील सूचना अधिकार संख्या 109/2016 अनवानी श्री मुकन्द सिंह पुत्र श्री हरनेक सिंह निवासी 5 के.एस.डी. पो0ओ0 सुखचैनपुरा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर बनाम उपजिला कलक्टर, रायसिंहनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

23-11-2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री मुकन्दसिंह उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री मुकन्द सिंह द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 25.05.2016 के द्वारा उपजिला कलक्टर, रायसिंहनगर से निम्न सूचना चाही थीः-

> जमीन आवंटन का पटट्ा की प्रमाणित कॉपी, चक 27 आर.बी. आवंटन दिनांक 28.02.1973 हरनेक सिंह पुत्र पाला सिंह जाति मेहरा मिसल न0 480/28.02.1973 खाता संख्या 17/27

अपीलार्थी श्री मुकन्द सिंह द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 25.05.2016 द्वारा उपजिला कलक्टर, रायसिंहनगर से सूचना चाही थी एक माह का समय व्यतीत हो जाने पर भी उसे सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाये जाने का आदेश दिया जावे एवं संबंधीत कर्मचारी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र के सन्दर्भ में उपजिला कलक्टर, रायसिंहनगर ने प्रतिवेदन संख्या 1465 दिनांक 06.09.2016 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी श्री मुकन्द सिंह द्वारा सूचना का अधिकार के तहत चक 27 आरबी आवंटन दिनांक 28.02.73 को हरनेक सिंह को आवंटन के पटटा की प्रमाणित प्रति चाही है। इस संबंध में प्रार्थी को उक्त आवंटन जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा सेल रजिस्टर में अंकित होने के कारण पत्र सं0 967 दिनांक 27.06.16 से प्रार्थी को जिला अभिलेखागार से प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए सूचना भिजवा दी गई थी तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर सूचित कर दिया था।

उपजिला कलक्टर, रायसिंहनगर ने पत्र सं0 967 दिनांक 27.06.2016 से प्रार्थी को निम्नानुसार सूचित किया गया हैः-

> आप द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चक 27 आरबी में हरनेक सिंह पुत्र पालासिंह जाति मेहरा के नाम से आवंटन आदेश की प्रति चाही गई है। उपरोक्त आवंटन 28.02.73 को श्रीमान जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा किया जाना पाया जाता है। अतः आप श्रीमान जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के रिकार्ड रूम में आवेदन कर चाही गई सूचना प्राप्त कर सकते है। आपको प्रार्थना पत्र दाखिल दफतर किया जा सकता है।

चूंकि लोक सूचना अधिकारी ने पत्र सं0 967 दिनांक 27.06.2016 के द्वारा सूचित कर दिया था कि प्रार्थी द्वारा चक 27 आरबी में हरनेक सिंह पुत्र मालासिंह के नाम से आवंटन आदेश की प्रति चाही है। उक्त आवंटन 28.02.73 को जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा किया गया है इसलिए इसकी प्रतिलिपि जिला कलक्टर के अभिलेखागार कार्यालय से प्राप्त कर सकता है।

P.T.O.

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

109/2016

A3

 अपील सूचना अधिकार संख्या 109/2016

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो अभिलेखो में उपलब्ध हो। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। चूंकि सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी के पास सम्बन्धित सूचना का अभिलेख उपलब्ध नही है। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उत्तर सही है जिसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है और अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलक्टर, रायसिंहनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 23.11.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर